देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR ™
www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/mmp/151 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | सोमवार, 30 अगस्त 2021

आखिर रघुवीर की शुद्ध मंशा, कर्तव्यनिष्ठा और दृढ़ इच्छा-शक्ति से ही हट सकी 26 साल पुरानी अवैध निर्माण की दीमक!!!

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com

E-Newsletter, Issued in Public Interest — शनिवार, 5 दिसम्बर 2020

माननीय मुख्यमंत्री महोदय!!!
कहाँ है आपका सुशासन???

आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधि

मनमर्जी

मंत्री से लेकर हाईकोर्ट तक गुहार, 26 साल बाद भी जेडीए की कार्रवाई का इंतजार

भाग-1

जांच-दर-जांच, नतीजा शून्य

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

यह है स्थिति

राजस्थान पत्रिका में दिनांक 04/12/2020 को प्रकाशित खबर से साभार

जयपुर के सी-स्कीम स्थित विनायक अपार्टमेंट के सुविधाक्षेत्र मे 26 सालो से चल रही 20 दुकानों को सील करने का मामला!!!

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

विनायक अपार्टमेंट,सी-स्कीम,जयपुर के सुविधाक्षेत्र मे पिछले 27 सालों से चल रही थी अवैध व्यवसायिक गतिविधियां|

जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने शनिवार को सी-स्कीम में बड़ी कार्रवाई करते हुए आवासीय अपार्टमेंट के बेसमेंट चल रही 20 दुकानो और दफ्तरों को सील कर दिया। प्रवर्तन दस्ते ने यह कार्रवाई सी-स्कीम, चौमू हाउस सर्किल स्थित विनायक अपार्टमेंट में की। अपार्टमेंट के बेसमेंट में बिल्डर ने बेसमेंट में अवैध दुकानें बनाकर किराए पर दे दी। अवैध व्यवसायिक गतिविधियों के विरुद्ध जयपुर के प्रख्यात डॉक्टर श्री हेमेन्द्र सुराणा करीब 27 सालों से संघर्ष कर रहे थे|

चौमूं हाउस सर्कल स्थित विनायक अपार्टमेंट का मामला

27 वर्ष पहले सुविधा क्षेत्र में बनीं 20 दुकानों पर लगाई सील

लंबी लड़ाई

शिकायतकर्ता ने पीएमओ से लेकर मुख्यमंत्री और नगरीय विकास मंत्री को लिखे कई पत्र

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. लंबी कानूनी लड़ाई और अड़चनों के बाद शनिवार को जेडीए ने कार्रवाई कर चौमूं हाउस सर्कल स्थित विनायक अपार्टमेंट के सुविधा क्षेत्र में बनी 20 दुकानों पर सील लगा दी। 27 वर्ष पहले सुविधा क्षेत्र में दुकानें बनाकर बिल्डर ने इनको बेच दिया। शिकायतकर्ता हेमेंद्र सुराना 26 वर्ष से सुविधा क्षेत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। कार्रवाई के बाद सुराना ने पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर परिवार सहित व्यक्तिगत सुरक्षा की भी मांग की है। पत्र में लिखा है कि जिन दुकानों पर जेडीए ने कार्रवाई की है, उन दुकान मालिकों का मेरे प्रति रोष व्याप्त है। कोई भी कभी भी मुझे या मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

सुबह 10 बजे पहुंची टीम कार्रवाई करने

जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने सुबह करीब 10 बजे पहुंचकर दुकानों को सील करने की कार्रवाई शुरू की। कुछ दुकानदारों ने सामान नहीं निकाला था। इसके लिए टीम ने सामान निकालने के लिए समय दिया। उसके बाद एक-एक कर सभी दुकानों को सील कर दिया। इन दुकानों में ऑफिस से लेकर हैंडीक्राफ्ट, लेडीज पार्लर, हेयर सैलून से लेकर कपड़े के गोदाम तक बना रखे थे।

'मेरे लिए खुशी का दिन'

बीस वर्ष से सुविधा क्षेत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हेमेंद्र सुराना ने पत्रिका से कहा कि मेरी लिए यह खुशी का दिन है। उच्चतम न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय व अपीलीय अधिकरण में गए। इसके अलावा समय-समय पर मुख्यमंत्री, नगरीय विकास मंत्री तक को पत्र लिखे। उसी का यह नतीजा है कि जेडीए ने यह कार्रवाई की। अब सरकारी मशीनरी ने जो निर्णय लिया है, उस पर वो आगे बढ़े और सुविधा क्षेत्र को खाली कराए।

पत्रिका ने उठाई हर बार आवाज

सुविधा क्षेत्र में दुकानें बनाकर उनको बेचने का मामला पत्रिका ने समय-समय पर उठाया। हाल ही में पत्रिका ने 'सुविधा क्षेत्र में बना दीं दुकानें, अब खेल रहे नोटिस-नोटिस' शीर्षक से खबर भी प्रकाशित की थी। इससे पहले भी पत्रिका लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा था।

फॉलोअप

सुविधा क्षेत्र में बना दीं दुकानें, अब खेल रहे 'नोटिस-नोटिस'

राजस्थान पत्रिका
प्रकाशित खबर

कोर्ट की मंशा के मुताबिक कार्रवाई

आवासीय अपार्टमेंट के सुविधा क्षेत्र में 20 दुकानें बनाकर बिल्डर ने बेचान कर दिया था। जबकि, जेडीए की बीपीपी की बैठक में यह जगह कॉमन फेसिलिटीज के लिए निर्धारित की गई थी। सभी प्रकरणों का विधि विभाग से परीक्षण करवाने के लिए न्यायालय की मंशा के अनुरूप कार्रवाई की गई है।
-रघुवीर सैनी, मुख्य नियंत्रक जेडीए

बिल्डर ने नक्शे में दर्शाया था कॉमन फैसिलिटी एरिया

मामला चौमू हाउस सर्किल, पृथ्वीराज रोड पर भूखण्ड सी-1, 2 में स्थित आवासीय विनायक अपार्टमेन्ट का है। साल 1988 में बिल्डर ने इस आवासीय अपार्टमेंट का नक्शा स्वीकृत करवाने के दौरान बेसमेन्ट में कॉमन फैसेलिटी एरिया दर्शाया था। नियमानुसार कॉमन फैसेलिटी केवल बिजली, फोन इत्यादि के पैनल ही लगाए जा सकते थे, लेकिन बिल्डर ने नियमो को दरकिनार कर दुकानें, दफ्तरो का निर्माण कर लिया।इनमें हैंडीक्राफ्ट, लेडिज पार्लर, सैलून, कपड़ों के इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट, क्लिनिक चल रहे थे।

श्री सुराणा के संघर्ष और जेडीए के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक श्री रघुवीर सैनी की शुद्ध मंशा,कर्तव्य-निष्ठा और दृढ़ इच्छाशक्ति से ही हट पाये बरसो पुराने अवैध निर्माण

आपको बता दें कि अवैध निर्माणों के विरुद्ध इस लड़ाई को शहर के प्रतिष्ठित नागरिक डा. श्री हेमेन्द्र सुराणा द्वारा विगत 27 वर्षों से लड़ा जा रहा था|वह इस लंबी लड़ाई से इतने हताश हो चुके थे कि उन्होने इस जीवन मे तो इन अवैध निर्माणों पर किसी प्रकार की कार्यवाही की उम्मीद ही छोड़ दी थी|लेकिन उनकी इन उम्मीदों को जेडीए के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक श्री रघुवीर सैनी के अथक प्रयासों से सफलता मिल सकी|श्री सैनी के ऊपर भी इन अवैध निर्माणों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने का भारी दबाव था,लेकिन वह अपने इरादों से टस-से मस नहीं हुए|आपको बता दें कि श्री रघुवीर सैनी को उनके ध्येय वाक्यों शुद्ध मंशा,कर्तव्य-निष्ठा,दृढ़ इच्छाशक्ति और पारदर्शिता के लिए जाना जाता है|